



04AA 002333 / 15



निर्जन मिंज
18/03/2015
अधिवक्ता

भारतीय गैर न्यायिक 1998 की धारा 46 D प्रो. के अधीन

शब्द: भारतीय स्वयंसेवक संघ (वृद्धिगत स्टाम्प एक्ट) 1999 की अनुसूची

का 1 क संख्या 23 J A with the permission
of S.D.O. Sinddegor vide

Order No: 167 R. 811 / 2014-15

18.3.15
orders dated 05.2.15

§ 18 लेख्यकारी:- श्री अलोक निरंजन मिंज पिता स्व० जोवाकिम मिंज, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिक्रेता ।

समथ-पत्र संख्या:- 139 / 2015

बीना रोपनी
पति- हेमंत रोपनी
ग्राम - सिमडेगा वडा- रेली
थाना जिला - सिमडेगा
18-3-2015



--2--

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमति प्रभा भेंगरा पति श्री हिलारियुस भेंगरा
जाति- मुण्डा, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- आरानी, थाना-
सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

समथ-पत्र संख्या :- 140 / 20 15

§3§ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य :- मोबलिंग तीन लाख तैंतीस हजार रुपये अंके 3,33,000/-
रुपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी पुष्पूर, थाना-
सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-
सिमडेगा के खाना नं० 30 §तीस§ प्लॉट नं० 2233 §बाईस सौ
तैंतीस§ रकबा 1.74 एकड़ में से 0.14¼ एकड़ §सवा चौदह डिसमिल§
शहरो क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में
पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।
जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- इलियस मिंज का चौँरा दोन,

दक्षिण :- निज बिक्रेता इसी प्लॉट का अंश,

पूरब :- प्लॉट नं० 2236 एवं 2237,

पश्चिम :- निज बिक्रेता का दोन चौँरा ।

मालगुजारी 6 पैसा §छः पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

अलावे सेस सलाना
18/05/15

मौजा खिजरी पुष्पूर
सब रजिस्ट्री ऑफिस
सिमडेगा जिला
18/3/15




--3--

१११ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

११२ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

११३ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे परदादा खुदी उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादो बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगडा झंझट नहीं है ।

18/05/018
18/05/018
18/05/018
18/05/018



--4--

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमोन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 167 आर 811/2014-15 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 5.2.15 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 96१११ दिनांक 5.2.15 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री को जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लोज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजहूआ के तहत नहीं है।

मिल
18/03/15



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।
अखिल मिश्र
18/03/2015



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाप का पाँच अंगुलिया का दाप मेरे सदा लिया गया।
सजय कुमार महल
अधिवक्ता
18.03.2015

अखिल मिश्र
18/03/2015

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाप का पाँच अंगुलिया का दाप मेरे सदा लिया गया।
प्रमा भंगरा
18-3-2015
सजय कुमार महल
अधिवक्ता
18.03.2015

